

**मूल वाद में डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) श्वोपुरा



पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

बाबू खी

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा बाबत नाम उरुस्ती प/१ 88 R.G.A.

मुकदमा नम्बर :- 156/2021

निर्णय दिनांक :- 08/12-2021

वादी की ओर से स्वर्ण की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .....को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **दावा बादी स्वीकार**

**किया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 250, ग्राम पीथीसर में अंकित महबूब खी पुत्र मुनीर खी के स्थान पर बाबू खी पुत्र मुनीर खी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में उक्त नाम के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वादी की होगी। यह सीलदार, चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दर्शमद करें।**

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08/12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

*(Handwritten signature)*

( राहुल सैनी )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

**वाद के खर्चे**

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़



जोड़ रु 2544  
9/12/2021